झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची–834001

प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता (बैकलॉग) परीक्षा (विज्ञापन संख्या–27/2017) के संबंध में आवश्यक सूचना।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता (बैकलॉग) परीक्षा (विज्ञापन संख्या–27/2017) दिनांक–21.01.2024 को झारखण्ड राज्य के राँची जिले में दो पालियों में निम्न कार्यक्रमानुसार आयोजित की जायेगी :–

दिनांक	प्रथम पाली (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक)	द्वितीय पाली (अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक)
21.01.2024	सामान्य अध्ययन (प्रथम पत्र)	सामान्य अध्ययन (द्वितीय पत्र)

परीक्षार्थियों के लिए प्रवेश–पत्र (Admit Card), उपस्थिति पत्रक (Attendance Sheet) एवं परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश निम्नवत् है :–

1. इस परीक्षा के परीक्षार्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे।
2. परीक्षार्थी अपना प्रवेश–पत्र (Admit Card), उपस्थिति पत्रक (Attendance Sheet) एवं परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश दिनांक–09.01.2024 से आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अपना **पंजीयन संख्या (Registration Number) एवं जन्म तिथि (Date of Birth)** प्रविष्ट कर डाउनलोड कर सकते हैं।
3. यदि परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र (Admit Card) डाउनलोड करने में कठिनाई हो तो आयोग के Helpline No. +919431301419 /+919431301636 पर दिनांक–19.01.2024 तक कार्य दिवस में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।
4. परीक्षार्थियों को निदेश दिया जाता है कि वेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र (Admit Card), उपस्थिति पत्रक एवं आवेदन के समय दिये गये फोटो की दो स्वहस्ताक्षरित रंगीन (Colour) फोटो तथा एक वैध (Valid) फोटोयुक्त पहचान पत्र अपने परीक्षा केन्द्र पर अवश्य साथ लाएँ, अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जायेगा।
5. परीक्षार्थी अपने ओ0एम0आर0 शीट में आवश्यक जानकारियाँ प्रविष्ट करने के पूर्व प्रवेश पत्र (Admit Card) एवं ओ0एम0आर0 शीट (OMR Sheet) में अंकित अनुदेशों को भली भाँति पढ़कर ही प्रविष्टि करें। ओ0एम0आर0 शीट (OMR Sheet) में सही एवं वांछित सूचनाएं अंकित नहीं किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जा सकती है तथा परीक्षार्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।
6. ओ0एम0आर0 सीट में उत्तर के गोले में वांछित सूचना अंकित करने हेतु **ब्लू बॉल प्वांईट पेन** का ही प्रयोग किया जायेगा। अतः परीक्षार्थियों को निदेशित किया जाता कि वे अपने साथ परीक्षा कक्ष/हॉल में **ब्लू बॉल प्वांईट पेन** अवश्य लाएँ।
7. परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाईल फोन या अन्य कोई Electronic Gadget रखने की अनुमति नहीं है। अतः परीक्षार्थियों को उनके हित में सूचित किया जाता है कि वे अपने परीक्षा केन्द्र पर कागज/पर्ची, मोबाईल फोन, Electronic Gadget सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तुएँ यथा बैग, पाठ्य–पुस्तिकाएँ, खाद्य–सामग्री, कीमती/मूल्यवान सामान एवं अस्त्र–शस्त्र इत्यादि साथ नहीं लायें। इन अनुदेशों का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित परीक्षार्थी के विरूद्ध भविष्य में होनेवाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
8. परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा आरम्भ होने की निर्धारित समय से 30 मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुँचकर अपनी निर्धारित सीट पर बैठ जायें। परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय के पश्चात् आनेवाले परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे। केन्द्राधीक्षक विशेष परिस्थितियों में नियत समय से 15 मिनट विलम्ब तक आने वाले परीक्षार्थी पर्याप्त कारणों से प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं, किन्तु 15 मिनट के उपरान्त किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा–भवन में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

कृ0पृ0उ0

9. दिव्यांग कोटे के परीक्षार्थी के लिए निदेश निम्नवत् हैः–

(i) The Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) in the categories of blindness, locomotor disability (both arm affected – BA) and cerebral palsy will be provided the facility of scribe, if desired by the candidate. In case of other category of Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) as defined under Section 2 (r) of the RPWD Act, 2016, the facility of scribe will be allowed to such candidates on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write and scribe is essential to write examination on behalf from the Civil Surgeon.

(ii) The qualification of the scribe will not be more than the minimum qualification criteria of the examination. However, the qualification of the scribe should always be matric or above.

(iii) The Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) in the category of blindness locomotor disability (both arms affected-BA) and cerebral palsy will be allowed Compensatory Time of twenty minutes per hour of the examination. In case of other categories of Persons with Benchmark Disabilities (PwBD), this facility, will be provided on production of a certificate from the Civil Surgeon to the effect that the person concerned has physical limitations to write.

10. दिव्यांग कोटे के परीक्षार्थी श्रुतलेखक (Scribe) हेतु परीक्षा तिथि से 03 दिन पूर्व वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित अपने केन्द्र पर उपस्थित होकर केन्द्राधीक्षक को प्रार्थना पत्र समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर केन्द्राधीक्षक द्वारा इस निमित्त यथा निर्देशित व्यवस्था किया जायेगा।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग,राँची।